रेफरेन्स / एल.आर / 1923 / 2001 / जोधपुर
सरकार बनाम धन्नाराम

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकल पीठ
श्री सुरेन्द्र कुमार पुरोहित, सदस्य

उपस्थित–
श्री राजेन्द्र प्रसाद मीणा, उप राजकीय अभि0 प्रार्थी
श्री प्रदीप विश्नोई, अभिभाषक अप्रार्थी

दिनांक : 5.01.2022

निर्णय

यह रेफरेन्स राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 82 के अन्तर्गत अपर जिला कलक्टर, जोधपुर के रेफरेन्स प्रकरण सं.11 / 90 में अनुशंषित कार्यवाही दिनांक 27–8–94 के संदर्भ में पेश किया गया है।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता ने बहस में कथन किया कि ग्राम माण्डली में खसरा नंबर 62 की रकबा 75 बीघा भूमि मिसल बंदोबस्त में सिवायचक भूमि दर्ज थी। दिनांक 22–5–70 को ग्राम कानासर में भूमि आवंटन सलाहकार समिति की न तो कोई बैठक रखी गई एवं न ही कोई उद्घोषणा ही जारी की गई तथा न ही कार्यवाही पंजिका में बैठक होने का विवरण है, न ही भूमि आवंटित करने का कोई निर्णय ही अंकित है। इसलिए कार्यवाही फर्जी मानी गई है। उपरोक्त भूमि अप्रार्थी को वर्ष 1970 में दिनांक 22–5–70 को आवंटन होना बताकर राजस्व रेकार्ड में गैर खातेदारी का नामान्तरकरण संख्या 19 स्वीकृत कर इन्द्राज हुआ तथा इसके बाद खातेदारी का नामान्तरकरण संख्या 69 भी स्वीकार हो गया। इस पर पूर्व में अप्रार्थी के विरूद्ध आवंटन नियम 14 (4) के तहत प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को भिजवाने पर रेफरेन्स करने के निर्देश दिये गये। उनका यह भी तर्क है कि दिनांक

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	1–9–69 से 1–9–70 तक केवल अनुसूचित जाति / जनजाति के व्यक्तियों को ही भूमि आवंटन के राज्य सरकार के आदेश थे। चूंकि कोई भूमि का आवंटन अप्रार्थी को नहीं हुआ एवं उपखण्ड अधिकारी ने भी आवंटन को फर्जी माना है तथा ऐसे आदेश जो कि प्रारम्भिक रूप से ही प्रभाव शून्य हो तो उसका रेफरेन्स किया जा सकता है। अतः रेफरेन्स स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी के पक्ष में उपरोक्त भूमि बाबत स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 19 एवं 69 एवं अप्रार्थी के वारिसान के नाम स्वीकृत विरासत नामान्तरकरण संख्या 197 निरस्त किये जावें। विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी का बहस में कथन है कि विवादित आराजी का अप्रार्थी को दिनांक 22–5–70 को आवंटन होकर नियमानुसार खातेदारी प्रदान की गई है, जिस पर उनका वक्त आवंटन से कब्जा काश्त चला आ रहा है। अधीनस्थ न्यायालय में पूर्व में नियम 14 (14) में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये गये ऐसे में रेफरेन्स के निर्देश अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नहीं दिये जा सकते हैं तथा अप्रार्थी को नियमानुसार प्रदत्त खातेदारी को रेफरेन्स के माध्यम से निरस्त नहीं कराया जा सकता है। अतः यह रेफरेन्स सारहीन होने से निरस्त किया जावे। बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। हस्तगत प्रकरण में दिनाक 22–5–70 को ग्राम कानासर में भूमि आवंटन सलाहकार समिति की बैठक होना बताकर अप्रार्थी को भूमि आवंटन करना बताया गया है। किन्तु उक्त तिथि को आवंटन सलाहकार समिति की बैठक होने एवं उद्घोषणा जारी होने संबंधी कोई साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है तथा न ही भूमि का आवंटन होना पाया जाता है। साथ ही राज्य सरकार के आदेशानुसार दिनांक 1–9–69 से	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	1–9–70 तक की अवधि में केवल अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को ही भूमि आवंटन की जा सकती थी जबकि अप्रार्थी सवर्ण जाति से है। चूंकि आवंटन पंजिका से इस प्रकार की बैठक होना प्रमाणित नहीं होता तथा न ही भूमि का आवंटन होना पाया जाता है ऐसे में यदि तहसीलदार ने सक्षम अधिकारी द्वारा विधिवत आवंटन हुए बिना नामान्तरकरण के आदेश जारी कर भी दिये हो तो ऐसा आदेश प्रारम्भ से ही प्रभाव शून्य है तथा इसके आधार पर न तो भूमि का आवंटन होना माना जा सकता है तथा न ही राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद ही किया जा सकता है। अतः इस संबंध में तहसीलदार द्वारा नामान्तरकरण हेतु जारी आदेश प्रारम्भ से ही शून्य है व पश्चातवर्ती की गई समस्त कार्यवाही भी शून्यकरणीय है तथा ऐसे प्रभाव शून्य आदेश का कोई महत्व नहीं होने से उसका रेफरेन्स किया जा सकता है। अतएव उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह रेफरेन्स स्वीकार किये जाने योग्य है। अतः यह रेफरेन्स स्वीकार किया जाता है एवं वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 62 / 3 रकबा 75 बीघा भूमि बाबत अप्रार्थी धन्नाराम के पक्ष में किये गये समस्त इन्द्राजात एवं नामान्तरकरण संख्या 19 व 69 तथा धन्नाराम के वारिसान के नाम स्वीकृत विरासत नामान्तरकरण संख्या 197 निरस्त किये जाकर उक्त आराजी को पुनः राजस्व अभिलेख में सिवायचक राजकीय खाते में दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय सुनाया गया। **(सुरेन्द्र कुमार पुरोहित)** **सदस्य**	